संख्या— /XVIII(1)/2016-03(12)/2013

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 12 सितम्बर, 2016

विषयः–राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में "सलाहकार" के 01 अस्थायी निःसंवर्गीय पद की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–748/XVIII(1)/2013-03(12)/2013 दिनांक 20 जुलाई, 2013 द्वारा राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा विधियों/नियमावली के गठन एवं अन्य कार्यों हेतु सलाहकार के 01 अस्थायी निःसंवर्गीय सृजित पद के सापेक्ष शासनादेश संख्या–1540/XVIII(1)/2013-03(12)/2013 दिनांक 27 सितम्बर, 2013 द्वारा श्री एन0के0 जोशी, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 को राजस्व परिष्द में सलाहकार के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–308/XVIII(1)/2014-03(12)/2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2014 व शासनादेश संख्या–789/XVIII(1)/2015-03(12)/2013 दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा इस निःसंवर्गीय पद की निरन्तरता के साथ श्री जोशी की सेवाओं को इस पद पर दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

2— अध्यक्ष, राजस्व परिषद के पत्र संख्या–670/एक–1/रा0प0/अधि0/2015–16 दिनांक 06 मई, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद में श्री जोशी की सेवाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत् प्रश्नगत निःसंवर्गीय पद की निरन्तरता 01 वर्ष अर्थात दिनांक 01.03.2016 से दिनांक 28.02.2017 या सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक बढ़ाये जाने बशर्ते उक्त पद पूर्व में ही समाप्त न कर दिया जाय व श्री जोशी को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन उक्त पद पर बने रहने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में सलाहकार के प्रश्नगत निःसंवर्गीय अस्थायी पद पर अन्तिम आहरित वेतन–पेंशन (Last pay drawn minus pension) के सिद्धान्त के आधार पर वेतन अनुमन्य होगा।

4— राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में सलाहकार के प्रश्नगत निःसंवर्गीय अस्थायी पद के सापेक्ष शासनादेश की शर्तों के अधीन कार्यरत श्री जोशी द्वारा इस पद पर नियुक्ति की अवधि में राजस्व परिषद में संचालित कार्यों यथा भू–अभिलेख प्रक्रिया/बन्दोबस्त चकबन्दी प्रक्रिया, भू–अर्जन से सम्बन्धित प्रक्रियाओं, भू–लेख/भू–विधियों के संशोधन से सम्बन्धित कार्यों, डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना के कार्यों का परीक्षण, विभिन्न प्रकरणों में विधिक सलाह प्रदान किये जाने, राजस्व क्षेत्रों के पुनर्गठन इत्यादि एवं इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा समय–समय पर प्रदान किये गये अतिरिक्त कार्यों का भी निवर्हन/सम्पादन किया जायेगा।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2029–भू–राजस्व–001 निदेशन तथा प्रशासन–04 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

Letter-2.doc

(3) N

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–111NP/XXVII(5)/2016-17 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या– 6111(1)/XVIII(1)/2016 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री को मा0 राजस्व मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5/7, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

N (6)